

Copy of letter No. 14102-GI-7/22998, dated the 15th November, 1957 from the Chief Secretary to Govt. Punjab to all Deputy Commissioners and the District and Sessions Judges in the Punjab and the Registrar, Punjab High Court.

Subject :—Relationship between the Deputy Commissioners and the Departmental Officers in the District.

I am directed to address you on the subject noted above, and to say that after consideration of the question very carefully, Government have decided that as far as relationship between the Deputy Commissioners and the Departmental Officers in the districts is concerned the Deputy Commissioners would be a coordinator and he will have authority to call for advice and assistance from all Departmental Officers posted in his district. Moreover, he would also be competent to write the Annual Confidential reports of the District Officers of other departments posted in his district, but his remarks would be confined merely to :—

- (a) reputation for honesty; and
- (b) relationship with public.

So far as Police Officers are concerned, it has, however, been decided that no change is necessary in the present rules and procedure.

क्रमांक 5010-3एस-72/265555

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी उपायुक्त।

दिनांक चण्डीगढ़ 7 सितम्बर, 1972

विषय : डिस्ट्रिक्ट अटारनीज तथा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान अप्रयुक्त विषय की ओर दिलाऊँ और बताऊँ कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट अटारनीज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज को राजस्व केसों के सिलसिले में सरकार की ओर से आयुक्त अम्बाला मण्डल वे सम्मुख पेश होना पड़ता है और इस प्रकार उस का कार्य आयुक्त अम्बाला मण्डल को भी देखने का अवसर मिल जाता है। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट अटारनीज तथा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज जो आयुक्त अम्बाला मण्डल के सम्मुख सरकार की ओर से पेश होते हैं उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त द्वारा लिखे जाने के बाद आयुक्त अम्बाला मण्डल को रिमाकंस रिकार्ड करने के लिये भेजी जाया करें और आयुक्त अम्बाला मण्डल अपने रिमाकंस रिकार्ड करने के अपरान्त उन रिपोर्टों को विधि परामर्शों हरियाणा को भेजा करें

हस्ताक्षर

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवा
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 5010-3 एस-72/26526, दिनांक चण्डीगढ़ 7 सितम्बर, 1972

तथा सचिव हरियाणा सरकार, विधि विभाग को उनके अश